न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 183/2023

प्रार्थीगण	**बनाम**	विप्रार्थीगण
1.लिखमाराम पुत्र खंगाराराम उम्र 67 वर्ष 2.उमाराम पुत्र खंगाराराम उम्र 65 वर्ष निवासी नई कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. कमलसिंह पुत्र सोनसिंह उम्र 65 वर्ष 2 लक्ष्मणसिंह पुत्र चेनसिंह 45 वर्ष 3. नरपतसिंह पुत्र चेनसिंह उम्र 38 वर्ष 4.सगतसिंह पुत्र चेनसिंह उम्र 30 वर्ष जातियान राजपूत निवासी नई कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 5. भीयाराम पुत्र नथाराम उम्र 65 वर्ष 6. नवलाराम पुत्र वागाराम उम्र 53 वर्ष 7. हनुमानराम पुत्र पीराराम उम्र 70 वर्ष 8. पाबुराम पुत्र जेरामाराम उम्र 70 वर्ष 9. पुराराम पुत्र गोधुराम उम्र 50 वर्ष 10. वेहनाराम पुत्र गोधुराम उम्र 42 वर्ष 11. पुरखाराम पुत्र गोधूराम उम्र 45 वर्ष 12. मूलाराम पुत्र थानाराम उम्र 60 वर्ष 13. मोटाराम पुत्र लच्छाराम उम्र 62 वर्ष 14. राउमल पुत्र लच्छाराम उम्र 50 वर्ष 15. लुम्बाराम पुत्र लच्छाराम उम्र 48 वर्ष 16. पदमाराम पुत्र चुतराराम उम्र 50 वर्ष 17. मेहराराम पुत्र सिदाराम उम्र 48 वर्ष जातियान जाट निवासी नई कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 18. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111/[illegible] राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भू[illegible] की [illegible] से नेखमबन्दी बाबत)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:47:12 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश

दिनांक – 14.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के मुताबिक तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का खेत मौजा कनठाई पटवार हल्का कनठाई में खसरा संख्या 272/99 रकबा 2.3218 हैक्टेयर खसरा संख्या 413/223 रकबा 0.0906 हैक्टेयर खसरा संख्या 414/223 रकबा 11.1060 हैक्टेयर खसरा संख्या 427/275 रकबा 0.2050 हैक्टेयर खसरा संख्या 428/275 रकबा 11.8410 हैक्टेयर व खसरा संख्या 80 रकबा 0.1294 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढ सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एव विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा कनठाई पटवार हल्का कनठाई में खसरा संख्या 272/99 रकबा 2.3218 हैक्टेयर, खसरा संख्या 413/223 रकबा 0.0906 हैक्टेयर, खसरा संख्या 414/223 रकबा 11.1060 हैक्टेयर, खसरा संख्या 427/275 रकबा 0.2050 हैक्टेयर, खसरा संख्या 428/275 रकबा 11.8410 हैक्टेयर व खसरा संख्या 80 रकबा 0.1294 हैक्टेयर खातेदारी की पक्की पत्थरबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के खेत मौजा कनठाई पटवार हल्का कनठाई मे खसरा संख्या 272/99 रकबा 2.3218 हैक्टेयर, खसरा संख्या 413/223 रकबा 0.0906 हैक्टेयर, खसरा संख्या 414/223 रकबा 11.1060 हैक्टेयर, खसरा संख्या 427/275 रकबा 0.2050 हैक्टेयर, खसरा संख्या 428/275 रकबा 11.8410 हैक्टेयर व खसरा संख्या 80 रकबा 0.1294 हैक्टेयर खातेदारी आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतो के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा कनठाई पटवार हल्का कनठाई में खसरा संख्या 272/99 रकबा 2.3218 हैक्टेयर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:47:12 IST
Reason: SelfAttested

8410 हैक्टेयर व खसरा संख्या 80 रकबा 0.1294 हैक्टेयर खातेदारी की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा कमठाई पटवार हल्का कमठाई में खसरा संख्या 272/99 रकबा 2.3218 हैक्टेयर, खसरा संख्या 413/223 रकबा 0.0906 हैक्टेयर, खसरा संख्या 414/223 रकबा 11.1060 हैक्टेयर, खसरा संख्या 427/275 रकबा 0.2050 हैक्टेयर, खसरा संख्या 428/275 रकबा 11.8410 हैक्टेयर व खसरा संख्या 80 रकबा 0.1294 हैक्टेयर खातेदारी प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कमठाई पटवार हल्का कमठाई में खसरा संख्या 272/99 रकबा 2.3218 हैक्टेयर, खसरा संख्या 413/223 रकबा 0.0906 हैक्टेयर, खसरा संख्या 414/223 रकबा 11.1060 हैक्टेयर, खसरा संख्या 427/275 रकबा 0.2050 हैक्टेयर, खसरा संख्या 428/275 रकबा 11.8410 हैक्टेयर व खसरा संख्या 80 रकबा 0.1294 हैक्टेयर खातेदारी के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 2000/ प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:47:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 14.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी